

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- ५७५

दिनांक :- 03/05/2024

II कार्यालय आदेश II

में कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपक्ति धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह मई-2024 में राजकीय अवकाशों में टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपरोधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करेंगे। साथ ही प्रोटोकॉल के लिए सारणी संख्या 2 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इ्यूटी करेंगे।

सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	यतिन खटाना	8860702787	05.05.24
2.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	अंजली सिंह	9560595669	11.05.24
3.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-1, टोंक	निधि शर्मा	9461322165	12.05.24
4.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	19.05.24
5.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा	9117791191	25.05.24
6.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	रेशमा जानवानी	9829133395	26.05.24

सारणी संख्या :- 2 प्रोटोकॉल इ्यूटी

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अभिलाषा जेफ	9829462902	05.05.24
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	11.05.24
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	अनीषा शर्मा	7339744406	12.05.24
4.	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	यतिन खटाना	8860702787	19.05.24
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	माधवी गोस्वामी	9352972171	25.05.24
6.	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली	हर्ष मीना	8290481196	26.05.24

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

3/5/2024
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे तथा प्रोटोकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

31/5/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोंक सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)
दिनांक :- 03/05/2024

क्रमांक :- 475-498

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1/संख्या-2, टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा/मालपुरा/निवाई/ढोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

31/5/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोंक सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टोंक (राज.)